

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीवाली):

(क) और (ख). दिल्ली में पहले से ही एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड काम कर रहा है। फिर भी, दिल्ली में एक केन्द्रीय बोर्ड स्थापित करने का विचार है। इसकी सेवाएं दिल्ली के स्कूलों को और भारत की या भारत के बाहर की उन शैक्षिक संस्थाओं को उपलब्ध हो सकेंगी जो बोर्ड द्वारा ली जाने वाली उच्च-माध्यमिक परीक्षा के लिए विद्यार्थी तैयार करना चाहें। आशा है कि नये बोर्ड की स्थापना जल्दी ही हो जाएगी।

दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के लिये नैतिकता सम्बन्धी भाषण

८८६. श्री भबल प्रभाकर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों तथा कर्मचारियों में नैतिकता की भावना जागृत करने के लिए एक भाषण-माला का आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक किये गये प्रयत्नों का व्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषज्ञों को भाषण देने के लिए कोई पारिश्रमिक भी दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो कितना।

(ङ) अब तक कितने भाषण कराये गये हैं; और

(च) इन भाषणों का क्या प्रभाव पड़ा है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बल्लार) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन ने सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कार्यालयों, बागिचय तथा व्यापार संगठनों के कार्यालयों आदि में भिक्षु चमनलाल

द्वारा सामाजिक व्यवहार संबंध समस्याओं से संबंधित एक भाषण-माला का समायोजन किया है।

(ग) और (घ). दो मास की अवधि के लिए रहने, भोजन तथा यात्रा का वास्तविक व्यय भ्रदा करने का विचार था परन्तु भिक्षु चमनलाल ने प्रशासन को सूचित किया है कि उन्होंने स्वयं अपना प्रबंध कर लिया है।

(ङ) चार भाषण दिए गए हैं।

(च) ऐसे भाषणों के प्रभाव का मूल्यांकन करना कठिन है, परन्तु इनसे एक स्वस्थ मनोवैज्ञानिक वातावरण अवश्य उत्पन्न होता है।

Election Petitions

887. Shri B. N. Kureel: Will the Minister of Law be pleased to state:

(a) the number of election petitions received by the Election Commission regarding the Lok Sabha elections of 1957; and

(b) the number of election petitions disposed of by the Election Commission under Section 85 and under Section 86 of the Representation of the People Act, 1951 separately?

The Deputy Minister of Law (Shri Hajarnavis): (a) The number of election petitions received by the Election Commission regarding the Lok Sabha elections of 1957 is fifty-nine.

(b) Out of this number, one petition was dismissed by the Election Commission under Section 85 of the Representation of the People Act, 1951, and fifty-seven petitions were referred to Election Tribunals for trial under Section 86. It may be added that one petition was allowed to be withdrawn under Section 110 of the Act.